



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-23.07.2024

विषय:- “आपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना शिवपुर मे रोड एक्सीडेन्ट में मृत्यु के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 1000/- रु0 अर्थदण्ड ।

थाना शिवपुर, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-100/1990 धारा 279/304ए/427 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्त हरिशंकर मौर्या पुत्र राम किशोर मौर्या निवासी गोगवां थाना जन्सा जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक शिवपुर व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक-23.07.2024 को माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-07 जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त हरिशंकर मौर्या उपरोक्त को न्यायाय उठने तक की सजा व कुल 1000/- रु0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।